

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर देसूरी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- पर्वत सिंह चूण्डावत उपखण्ड अधिकारी देसूरी
उनवान

लेहरी पत्नी लाबुराम कौम रेबारी

बनाम

दानाराम पुत्र गीदाराम कौम रेबारी

दावा बाबत — बंटवारा राजकाशत अधि 1955 धारा 53

मुकदमा नम्बर :- 74 / 16

निर्णय

दिनांक :- 15 / 06 / 2016

वादी लेहरी पत्नी लाबुराम कौम रेबारी व प्रतिवादी दानाराम पुत्र गीदाराम कौम रेबारी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15 / 06 / 16 को. पर्वत सिंह चूण्डावत (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है कि

दानाराम पुत्र गीदाराम कौम रेबारी(देवासी) सा.देह खातेदार के नाम ग्राम सुमेर पटवार वृत्त सुमेर तहसील देसूरी के ख.न 230 रकबा 0.29 है. किस्म बा.अ. लगान 2.03 एवं लेहरी पत्नी लाबुराम कौम रेबारी(देवासी) सा.देह खातेदार के नाम ग्राम सुमेर पटवार वृत्त सुमेर तहसील देसूरी के ख.न 230 / 1 रकबा 0.11 है. किस्म बा.अ. लगान 0.77 दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते हैं एवं नक्शा तैयार किया गया जो संलग्न है उस अनुसार नक्शे में तरमीम हो तदनुसार डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 15 / 06 / 2016 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की जाती है।

(पर्वत सिंह चूण्डावत)
पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर (पाली) देसूरी

क्रमांक / शिविर / 2016 /

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार देसूरी को भेजकर लेख है कि माफिक डिक्री एवं नक्सानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

दिनांक-15 / 06 / 2016

उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
देसूरी (पाली)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहा. कलक्टर

डिक्री बमुकदमें इब्दाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

राज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- देसूरी

ईजलास :- श्री पर्वतसिंह चुण्डावत, आर0ए0एस0

उनवान

लेहरी पत्नी लाबुराम कौम रेबारी

बनाम

दानाराम पुत्र गीदाराम कौम रेबारी

राजस्व वाद बाबत घोषणा, मु0न0 :रा0वा0 स0: 74 / 16

दावा बाबत -बंटवारा राज0काश्त0 अधि0 1955 धारा 53

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू-..... व हाजरी वादीगण मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेष होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा अन्तिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि दानाराम पुत्र गीदाराम कौम रेबारी(देवासी) सा.देह खातेदार के नाम ग्राम सुमेर पटवार वृत सुमेर तहसील देसूरी के ख.न 230 रकबा 0.29 है. किस्म।बा.अ. लगान 2.03 एवं लेहरी पत्नी लाबुराम कौम रेबारी(देवासी) सा.देह खातेदार के नाम ग्राम सुमेर पटवार वृत सुमेर तहसील देसूरी के ख.न 230/1 रकबा 0.11 है. किस्म बा.अ. लगान 0.77 दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते हैं एवं नक्शा तैयार किया गया जो संलग्न है उस अनुसार नक्शे में तरमीम हो तदनुसार डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, देसूरी को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेखा भण्डार जमा हो।

नीजमुबलिक.....-बाबत.....-खर्चा इस मुकदमें मय सूद व षहरफीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तकको अदा करें।

बसिद्व मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर सुमेर के आज तारीख 15/06/2016 को जारी किया गया।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी देसूरी
(जिला-पाली)
देसूरी (पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अर्जी
स्टाम्प वजह सबूत	महनताना वकील
महनताना वकील	खर्चा गवाहान
खर्चा गवाहान	फीस कमीष्जर
फीस कमीष्जर	बाबत ईजराय हुक्मनामा
बाबत ईजराय हुक्मनामा	मुत्फरिक

मिजान:-

मिजान:-

नोट:

- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी देसूरी
(जिला-पाली)
देसूरी (पाली)